राजस्थान सरकार
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

No. HA/11/475 Date 27-8-2011

आदेश

विषयः– लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर के सुदृढ़ीकरण हेतु।

1. 2 अक्टूबर, 2011 से पूरे राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) द्वारा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाऐं, सर्जिकल आईट्मस, कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि क्रय कर निःशुल्क वितरण के लिये उपलब्ध कराऐ जायेगे। दवाओं एवं सर्जिकल आईटमस के वितरण की समुचित व्यवस्था चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी की देखरेख में सुनिश्चित की जानी है।

2. यद्यपि आरएमएससी का यह दायित्व है कि सभी सूचीबद्ध दवाऐं समय पर नियमित रूप से उपलब्ध कराऐगा। आपूर्ति में अपरिहार्य कारणों से व्यवधान आने पर भी निःशुल्क दवा वितरण व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए इसके लिए लाईफ लाईन मेडिकेयर ड्रग स्टोर (पूर्व में लाईफ लाईन फ्लूड स्टोर) पर आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति हेतु विकल्प (अल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस हेतु राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) की संशोधित नियमावली 2007 के भाग–4 में दिए गए निर्देशों में इंगित प्रक्रिया को अपनाया जाकर सामान्यतः उपयोग में आने वाली व चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही समस्त दवाओं का दर निर्धारण कर तैयार रखें।

3. वे दवाऐं जो कि आरएमएससी द्वारा क्रय नहीं की जा रही है तथा विशेष परिस्थितियों में चिकित्सकों द्वारा लिखी जाती है, उन्हें भी मेडिकेयर ड्रग स्टोर (आरएमएससी) पर उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य है। जिससे रोगियों को उचित मूल्य पर दवाईयां उपलब्ध हो सके।

4. राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की संशोधित नियमावली 2007 के नियम–9 (औषधियों एवं अन्य सामान की प्राप्ति एवं विक्रय प्रक्रिया) के अनुसार विभिन्न औषधियों एवं सर्जिकल आईटम्स जिनकी चिकित्सालय में आवश्यकता हो के लिए औषधि फर्मों/उनके वितरकों से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव प्राप्त किए जाऐ। फर्म/वितरक/सप्लायर्स से नेगोसिएशन करके न्यूनतम दर निर्धारित की जाऐ । फिर तीन वरिष्ठ चिकित्सक औषधि की गुणवत्ता एवं मूल्य पर विचार करके ड्रग स्टोर पर विक्रय के लिए रखने हेतु अनुमोदन करे। दवा की दर सूची तैयार होने के पश्चात जो दवाऐं आरएमएससी से सप्लाई नहीं हो रही है लेकिन अस्पताल में आवश्यक है वे सभी दवाऐं व सर्जिकल आईटमस नियमित रूप से उपलब्ध करे। सूची में आरएमएससी से दवा सप्लाई न होने की दशा में उस सूची की दवाईयों को उपरोक्त दरों पर अस्पताल द्वारा क्रय करके दवा वितरण केन्द्र के माध्यम से रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। प्रत्येक अस्पताल हेतु कुल दवा बजट के 10 प्रतिशत बजट का प्रावधान स्थानीय क्रय हेतु किया गया है।

5. क्रय/विक्रय प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मेडिकल रिलीफ सोसायटी (एमआरएस) नियमावली 2007 अध्याय भाग–4 में उपलब्ध है।

6. जहॉ पर चिकित्सा संस्थानों पर मेडिकेयर ड्रग स्टोर संचालित नहीं है वह कुछ समय के लिये अपने निकतटम जिला चिकित्सालय से दवायें क्रय कर खरीद प्रक्रिया समय पर की जाऐं।

7. जिन जिला चिकित्सालय के मेडिकेयर ड्रग स्टोर (एमडीएस) व्यवस्थित है व अन्य संस्थानों को दवायें देने की क्षमता रखते है उन्हे हॉल सेल का लाईसेन्स भी लेना चाहिये तथा क्रय सीधे ही सी. एण्ड. एफ. से करने के प्रयास करने चाहिए, इससे दवाऐं और भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होगी जिसका लाभ रोगी को मिलेगा।

8. जिन चिकित्सा संस्थानों में मेडिकेयर ड्रग स्टोर अभी भी लाईफ लाईन फ्लूड स्टोर के नाम से संचालित है उनके लाईसेन्स में परिवर्तन कराकर नाम मेडिकेयर ड्रग स्टोर कराये एवं फ्लूड के साथ – साथ दवाईयॉ भी रखवाऐं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आनेवाली आवश्यक दवाईयों को 2 अक्टूबर से निःशुल्क उपलब्ध कराऐ जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा आदेश कमांक आरएमएससी/मु. पत्र/2001/213 दिनांक 26.08.2011 के द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा चूके है । (प्रति सलंग्न)।

26/8/11

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि:-
समस्त जिला कलेक्टर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन को भेजकर लेख है कि वीडियों कान्फ्रेन्स में दिये गये निर्देशानुसार समस्त प्रमुख अधिकारी चिकित्सा द्वारा लाईफ लाईन ड्रग स्टोर पर उपलब्ध दवाईयों के नाम व रेट लिस्ट प्राप्त कर 31 अगस्त 2011 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराऐं।
2. सभी प्रमुख अधिकारी चिकित्सा व संस्थान के प्रभारी अधिकारी से अपेक्षा है कि वह आगामी 31 अगस्त 2011 तक अपने लाईफ लाईन ड्रग स्टोर को सुचारू रूप से स्थापित कर ले एवं उपलब्ध दवाईयों व सर्जीकल आईटमों की सूची एवं उनकी दरें इस कार्यालय को 31 अगस्त 2011 तक आवश्यक रूप से भिजवाऐं।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
25 AUG 2011
डायरी क्रमांक 8380

अनौपचारिक टिप्पणी

आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चिकित्सालयों में आवश्यक दवायें मेडिकेयर ड्रग स्टोर में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निदेशक (एड्स/चिप्र) 23/8

प्रमुख शासन सचिव महोदय
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अनौ. टि० क्रमांकः निदे/एड्स/चिप्र/2011/152

दिनांक: 23.08.2011

MD RMSC

May pl. see

चिकित्सालयों में आवश्यक दवायें निःशुल्क उपलब्ध करवाने के क्रम में

- 2 अक्टूबर, 2011 से पूरे राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) द्वारा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाऐं, सर्जिकल कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि क्रय कर निःशुल्क वितरण के लिये उपलब्ध करायी जावेगी। दवाओं एवं सर्जिकल आईटम के वितरण की समुचित व्यवस्था चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी की देखरेख में सुनिश्चित की जावेगी।
- राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) का यथा संभव प्रयास है कि सभी सूचिबद्ध दवाऐं समय पर नियमित रूप से उपलब्ध करायेगा। आपूर्तिकरण में अपरिहार्य कारणों से व्यवधान आने पर भी निःशुल्क वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए मेडिकेयर ड्रग स्टोर (एमडीएस) (पूर्व में लाईफ लाईन फ्लूड स्टोर) पर उपलब्ध होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर मेडिकेयर ड्रग स्टोर से दवाऐं क्रय कर निःशुल्क वितरित की जावेगी।
- वे दवाऐं जो कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) द्वारा क्रय नहीं की जा रही है तथा विशेष परिस्थितियों में चिकित्सकों द्वारा लिखी जाती है, उन्हें भी मेडिकेयर ड्रग स्टोर (आरएमएससी) पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। रोगियों को उचित मूल्य पर जैनरिक दवाईयां उपलब्ध होनी चाहिए।
- वे दवाऐं जो विशिष्ट जैनरिक नाम से नहीं आती है उनको क्रय करने के लिए 3 चिकित्सकों की समिति बनाकर सूचीबद्ध क्रय कर मेडिकेयर ड्रग स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे। राजस्थान मेडिकेयर सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) एवं उपरोक्त सूची के अनुसार सभी दवाऐं (जिनकी संख्या 500 से कम न हो) मेडिकेयर ड्रग स्टोर (आरएमएससी) पर उपलब्ध होनी चाहिए एवं इस सूची की प्रति 15 सितम्बर 2011 तक राजस्थान मेडिकेयर सर्विस कॉरपोरेशन व अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) को भिजवाई जावे।
- क्रय/विक्रय प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मेडिकल रिलीफ सोसायटी (एमआरएस) नियमावली 2007 के भाग–4 में उपलब्ध है। मेडिकेयर ड्रग स्टोर (एमडीएस) समिति (मेडिकेयर ड्रग स्टोर प्रभारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ शामिल हो, यह सुनिश्चित करें कि दवाओं का अनावश्यक क्रय व भण्डारण न हो व मूल्य में बाजार में उपलब्ध दवाओं की तुलना में कम हो। चिकित्सकों द्वारा जिन विशेष दवाओं की मांग की जाती है उनके लिये वह जिम्मेदार होंगे कि उनको सीमित मात्रा में क्रय किया जावे तथा पूरी उपयोग में ली जावे। समिति यह भी निश्चित कर सकती है कि सस्ती दर पर 20 करोड से अधिक टर्नओवर वाली कम्पनी जो कि डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाईड, आईएसओ सर्टिफाईड हो की ही विशेष दवाएं

उपलब्ध हो तथा उसका भुगतान, भण्डार को उपयोग में लिये जाने के पश्चात् किया जावें, लेकिन इसका ध्यान रखा जावें, कि इस प्रावधान से अनावश्यक दवाओं को क्रय कर भण्डारण न किया जावें तथा यह प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में ही कार्य में ली जावें। शॉर्ट एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखा जावें । प्रिस्क्रीपशन ऑडिट व मेडिकेयर ड्रग स्टोर (एमडीएस) की ऑडिट में अनियमितता पाये जाने पर संस्थान प्रभारी की समस्त जिम्मेदारी होगी।

- यह भी देखा गया है कि दवाओं को क्रय करते समय सिर्फ ठेकेदार पर क्रय प्रक्रिया छोड़ दी जाती है जिसका वह अनुचित लाभ उठाता है। क्रय प्रक्रिया मेडिकेयर ड्रग स्टोर समिति अपने नियंत्रण में रखे। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, शीघ्र भुगतान कर 2 प्रतिशत नकद छूट ली जा सकती है।
- जिन चिकित्सा संस्थानों में मेडिकेयर ड्रग स्टोर अभी भी लाईफ लाईन फ्लूड स्टोर के नाम से संचालित है उनके लाईसेन्स में परिवर्तन कराकर नाम मेडिकेयर ड्रग स्टोर करायें।
- जिन चिकित्सा संस्थानों पर मेडिकेयर ड्रग स्टोर संचालित नहीं है, वे कुछ समय के लिये अपने निकटतम जिला चिकित्सालय से दवायें क्रय कर खरीद प्रक्रिया समय पर की जावें।
- सभी सर्जिकल आईटम दवाओं की सूची (उपलब्धता/प्रस्तावित) प्रदर्शित की जानी चाहिए तथा 15 सितम्बर 2011 तक राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (आरएमएससी) व अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) के कार्यलय में भिजवावें।
- जिन जिला चिकित्सालयों के मेडिकेयर ड्रग स्टोर (एमडीएस) व्यवस्थित हैं व अन्य संस्थानों को दवायें देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हॉल सेल का लाईसेन्स भी लेना चाहिए तथा क्रय सीधे ही सी एण्ड एफ से करने के प्रयास करने चाहिए, इससे दवाऐं और भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होगी, जिसका लाभ रोगी को मिलेगा।